न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 04/2017

वादी :-	बनाम	प्रतिवादी
1. पूनाराम पुत्र गिरधारीराम जाति- मेघवाल, निवासी-घोड़ावड़ तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)		1. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.) 2. सरपंच ग्राम पंचायत घोड़ावड़ तहसील-जैतारण जिला पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं तारीख रजू:.10/01/2017

उपस्थितः- 1. श्री चावंडदान बाहरठ, अधिवक्ता, वादी।
2. सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 18/06/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा-घोड़ावड़ पटवार हल्का घोड़ावड़ तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) में वाके आराजी खसरा नम्बर 491 रकबा 3-07 बीघा किस्म श्मशान घाट से दर्ज स्थित है जो वक्त सेटलमेन्ट से ही श्मशान घाट दर्ज है जिसका उपयोग उपभोग बतौर श्मशानघाट के मेघवाल समाज (जयपाल) अर्से दराज से उपयोग उपभोग करते चला आ रहा है तथा मेघवाल समाज के श्मशान घाट के रूप में ही उपयोग रहा है तथा जिसमें मेघवाल समाज (जयपाल) मुख्यान वादी के परिवार एवं मृतक पूर्वजों के मुर्दे दफन किये गये एवं जलाए गये एवं उनकी अस्थियां भी वही है जिसका बतौर हिन्दू धर्म माफिक समय समय अपने पित्रों की पूजा अर्चना आदि भी करते रहते है जिसका आज तक इस आशय में उपयोग उपभोग बाबत् आपत्ति एतराज किसी को नही हो रही है तथा बिना किसी रोक टोक के उपयोग बतौर श्मशानघाट के मेघवाल समाज (जयपाल) करते चले आ रहे है। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में भी श्मशान घाट दर्ज है जो मेघवाल समाज के बतौर श्मशान उपयोग चलता आ रहा है अन्य किसी का नहीं है जो वक्त सैटलमेन्ट से ही चलता आ रहा है वादी के पूर्वजों के समय से ही इसका उपयोग उपभोग बतौर मेघवाल समाज (जयपाल) श्मशान घाट के होता रहा है जो आज दिन तक भी हो रहा है तथा सम्पूर्ण खसरा नम्बर इनके उपयोग में रहा है जिसका नुकसान भी अलग से पेश है। उक्त खसरान् भूमि बाबत् राज्य सरकार द्वारा मेघवाल समाज श्मशान घाट चार दीवारी बाबत् राशि भी जारी हो रखी है जिसका कार्य भी जारी है जो ग्राम पंचायत द्वारा करवाया जा रहा है जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा बिना उक्त खसरान् भूमि का नापा चौप करवाए बिना समाज के मुख्यान व्यक्तियों की सलाह मशविरा किए अवैधानिक एवं गैरकूननी रूप से निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जिसका मेघवाल समाज ने विरोध किया तथा सरपंच, ग्रम सेवक आदि को रोकने बाबत् एवं नाप चौप करवाकर चारों तरफ चारदीवारी करने बाबत् प्रार्थनापत्र पेश किया लेकिन नहीं माने तथा जातिगत द्वेवषा रखते हुए प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी हठधर्मिता से निर्माण कार्य जारी कर रखा है जबकि सरकारी योजना के तहत् सम्पूर्ण खसरान् भूमि के संबंध में चारों तरफ चार दीवारी के टेण्डर जारी हो रखे है। प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

संख्या 2 द्वारा इस प्रकार किये जा रहे अवैध एवं कानून विरूद्ध कार्य को रोकने बाबत् मुख्यान मेघवाल समाज द्वारा निवेदन करने पर भी नही माने जिस पर श्रीमान् सहायक कलेक्टर साहब जैतारण को मुख्यान मेघवाल समाज द्वारा प्रार्थनापत्र पेश कर उक्त निर्माण कार्य रूकवाने बाबत् निवेदन किया तथा तहसीलदार जैतारण को प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन प्रतिवादी संख्या दो नही माने ऐलानिया कथन किया कि तुम्हे जो करना है करो निर्माण कार्य नहीं रूकेगा जिस पर दिनांक 02/01/2017 को तहसीलदार भूमिधारी राजस्थान सरकार को भी प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त खसरान् भूमि मेघवाल समाज (जयपाल) के पूर्वजों के समय से ही बतौर श्मशान भूमि के उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा राजस्व रेकर्ड में भी दर्ज है उक्त भूमि में मेघवाल समाज के पूर्वजों के शव व मुर्दे दफन किये हुए है लेकिन राजस्व रेकर्ड में मेघवाल समाज श्मशान दर्ज किया हुआ नहीं होने से एवं वादी अनपढ होने से व कानूनी जानकारी नही होने से इसे मेघवाल श्मशान घाट दर्ज करवा नहीं सके जबकि उक्त खसरा भूमि मेघवाल समाज (जयपाल) की बतौर श्मशान घाट उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है एवं मेघवाल समाज उक्त खसरान् भूमि को मेघवाल समाज श्मशान घाट दर्ज करवाने के अधिकारी होने से यह वादपत्र वादी की और से बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। इस प्रकार वाद–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर माफिक दावा वाद स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। सरकारी पैरोकार अपना जबाबदावा पेश करने का समय चाहा गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–घोड़ावड़ में पेश हुई। मजमा–ए–आम में जानकारी प्राप्त की गई। सरकारी पैरोकार तहसीलदार जैतारण ने जवाब दावा पेश किया, सामिल मिसल किया गया। जवाब दावा में व्यक्त किया कि माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार घोड़ावड़ के खसरा नम्बर 491 रकबा 03–07 बीघा गै.मु. शमशान दर्ज हैं। शमशान भूमि सार्वजनिक होती हैं। व्यक्तिगत नही हैं तथा शमशान के ही उपयोग में आ रही हैं। वादी के अनुसार किसी व्यक्तिगत समाज के नाम शमशान दर्ज किया जाना प्रतीत नही होता हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। मजमा–ए–आम में भी उक्त संबंध में जानकारी ली गई, कि उक्त भूमि शमशान के ही उपयोग में आ रही हैं। किसी सार्वजनिक भूमि व्यक्तिगत उपयोग में लेने हेतु जरिये घोषणा के उचित नही समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः वादी का वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 18/06/2018 को लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र–घोड़ावड़ में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

वादी :–

1. पूनाराम पुत्र गिरधारीराम
   जाति– मेघवाल, निवासी–घोड़ावड़
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली
   (राज.)

बनाम

प्रतिवादी

1. तहसीलदार एवं उप पंजीयन
   अधिकारी, जैतारण तहसील–
   जैतारण, जिला–पाली (राज.)
2. सरपंच ग्राम पंचायत घोड़ावड़
   तहसील–जैतारण जिला पाली
   (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

मु0न0 :रा0वा0 स0: 44/2018

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री चावण्डदान बाहरठ, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **18/06/2018** को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	–00	स्टाम्प वकालतनामा	01	–00
स्टाम्प वकालतनामा	02	–00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत		–	महनताना वकील		
महनताना वकील		–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	03	–00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		–	मुत्फरिक		
मिजानः–	07	–00	मिजानः–	01	–00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।